न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/412 दर्ज दिनांक– 03.09.2024
मुकदमा नम्बर 141/2024

सुमेर सिंह पुत्र बृजलाल उर्फ बिरजू सिंह जाति दरोगा निवासी वार्ड नं. 40 पिपराली रोड सीकर, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू –आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़ –अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सज्जन चाहर
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 30.09.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम खिरोड पटवार हल्का खिरोड की सरहद में जमीन खाता सं. नया 357 पुराना 284 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1869 रकबा 0.92 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.92 है0 स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सुमेरसिंह पुत्र बृजलाल के स्थान पर सुमेरसिंह पुत्र बिरजू सिंह दुरूस्त कर दर्ज किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट भू.अ./24/5020 दिनांक 30/09/2024 पेश कि गई जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताया गया।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खिरोड पटवार हल्का खिरोड की सरहद में जमीन खाता सं. नया 357 पुराना 284 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1869 रकबा 0.92 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.92 है0 स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सुमेरसिंह पुत्र बृजलाल के स्थान पर सुमेरसिंह पुत्र बिरजू सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner